

फास्ट ट्रैक वशेष न्यायालयों की प्रभावशीलता

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

भारत में फास्ट-ट्रैक कोर्ट, यौन अपराध, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम), आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018, केंद्र प्रायोजित योजना, न्यायपालिका।

मुख्य परीक्षा के लिये:

भारत में फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के समक्ष चुनौतियाँ।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

गंभीर आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान हेतु बनाए गए भारत के फास्ट-ट्रैक कोर्ट अपनी प्रभावशीलता को लेकर जाँच का सामना कर रहे हैं। हालाँकि शुरुआती रुझान के बावजूद कार्यात्मक न्यायालयों की संख्या में कमी आई है।

नोट:

- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की संख्या का रुझान:**
 - वर्ष 2018 और वर्ष 2020 के बीच भारत में फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 699 से बढ़कर 907 हो गई, जिसका मुख्य कारण हाई-प्रोफाइल मामलों में विलंब को लेकर जनता में व्याप्त आक्रोश था।
 - हालाँकि वर्ष 2020 के बाद से यह प्रगति धीमी हो गई है, वर्ष 2023 में कार्यात्मक न्यायालयों की संख्या घटकर 832 हो गई है, जो वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं के कारण इन न्यायालयों को बनाए रखने में राज्यों के समक्ष वभिन्न चुनौतियों को दर्शाती है।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की उपलब्धता में असमानताएँ:**
 - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने उच्च संख्या में त्वरित न्यायालयों की क्रियाशीलता को बनाए रखा है, जबकि अन्य राज्यों में इनकी संख्या बहुत कम है या कुछ मामलों में तो एक भी नहीं है।
 - ये असमानताएँ स्थानीय संसाधन सीमाओं, प्राथमिकता के वभिन्न स्तरों और भिन्न प्रशासनिक क्षमताओं का प्रतीक हैं।

FTSC क्या है?

- **परिचय:**
 - FTSC भारत में स्थापित न्यायिक निकाय हैं, जो यौन अपराधों से संबंधित मामलों, विशेष रूप से बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) से संबंधित मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये स्थापित किये गए हैं।
- **स्थापना:**
 - केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसमें बलात्कार के अपराधियों के लिये मृत्युदंड सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात् ऐसे मामलों के त्वरित निर्णय की सुविधा के लिये FTSC की स्थापना की गई।
 - भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अगस्त 2019 में FTSC की स्थापना की पहल को औपचारिक रूप दिया गया था।
- **FTSC की स्थापना के कारण:**
 - यौन अपराधों में अधिकतम वृद्धि और पारंपरिक न्यायालयों में मुकदमों की दीर्घकालीन अवधि के कारण पीड़ितों को न्याय मिलने में काफी विलंब हो रहा था, जिसके कारण FTSC की स्थापना की गई थी।
- **FTSC का विस्तार:**
 - FTSC योजना, जिसे मूल रूप से वर्ष 2019 में एक वर्ष के लिये आरंभ किया गया था, को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023 से वर्ष 2026 तक अतिरिक्त तीन वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया है।

पोक्सो अधिनियम क्या है?

- **परिचय:** इस कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बचचे के रूप में परिभाषित करता है।
 - इसे वर्ष **1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- **वशिष्टताएँ:**
 - **लगि-नषिपकष प्रकृति:** अधिनियम के अनुसार, लड़के और लड़कियाँ दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ितों के लगि की परवाह किये बिना ऐसा दुरव्यवहार एक अपराध है।
 - **पीड़ितों की पहचान की गोपनीयता:** पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 में यह प्रावधान है कि **बाल पीड़ितों** की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये।
 - मीडिया रिपोर्ट में पीड़ितों की पहचान उजागर करने वाला कोई भी वविरण नहीं दिया जा सकता, जैसे कि उसका नाम, पता और परिवार की जानकारी।
 - **नाबालगियों के साथ यौन दुरव्यवहार के मामलों में अनविरय रिपोर्टिंग:** धारा 19 से 22 ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों की जानकारी है या उचित संदेह है, संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये बाध्य करती है।

FTSC के समकष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **बुनयिदी ढाँचे का अभाव:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स प्रायः अपर्याप्त सुवधियों के साथ कार्य करती हैं, जसमें **आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे आवश्यक संसाधनों और मुकदमों के भार को कुशलतापूर्वक नपिटाने के लिये पर्याप्त स्थान का अभाव** होता है।
- **न्यायिक अधभार:** अपने उद्देश्य के बावजूद, फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स को प्रायः **मामलों की अधकितता का सामना करना पड़ता है, जसके परिणामस्वरूप वलिंग देखने को मलित है, जो त्वरति न्याय के उनके मूलभूत उद्देश्य के वपिरीत है।**
- **असंगत कार्यानवयन:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना और कार्यप्रणाली वभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है, जसके परिणामस्वरूप **न्याय तक असमान पहुँच और वधिकि मानकों का असंगत अनुप्रयोग** होता है।
- **न्यायिक कार्यकर्मियों की गुणवत्ता:** न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की भरती और प्रशिक्षण सदैव फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की वशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, जससे न्यायिक नरिणय लेने की गुणवत्ता प्रभावति होती है।
- **सीमित सार्वजनिक जागरूकता:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स के कार्यों और प्रक्रियाओं के संबंध में सामान्य जन में जागरूकता का अभाव है, जो उनकी प्रभावशीलता और पहुँच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- **बुनयिदी ढाँचे का वकिस:** न्यायालय के बुनयिदी ढाँचे के आधुनिकीकरण और वसितार में नविस करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स मुकदमों के बोझ को संभालने में सक्षम हों।
- **व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने हेतु उनके लिये लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, जसमें आमतौर पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स द्वारा नपिटाए जाने वाले मामलों की जटलिताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसे कि संवेदनशील मुद्दे।
- **सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रियाएँ:** न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए दक्षता सुनिश्चित करने के लिये स्पष्ट प्रक्रियात्मक दिशानरिदेश और सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना करना, नषिपकषता से समझौता किये बगैर त्वरति समाधान की सुवधि प्रदान करना।
- **जन जागरूकता अभियान:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स के कार्यों, प्रक्रियाओं और लाभों के बारे में जनता को शक्ति करने के लिये पहल शुरू करना, जससे न्यायिक प्रणाली में अधिक सामुदायिक सहभागिता और वशिवास को बढ़ावा मलित।
- **वधायी सुधार:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की वशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मौजूदा कानूनों में संशोधन की वकालत करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रियात्मक ढाँचे उनके उद्देश्यों के अनुरूप हों।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की भूमिका और प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Q. हाल के समय में भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाएँ अभिसरणीय और अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बढुओं को आलोकित कीजिये। (2020)

Q. न्यायालयों के द्वारा वधायी शक्तियों के वविरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, 'परसिंघीय सर्वोच्चता का सदिधांत' और 'समरस अस्थानवयन' उभर कर आए हैं। स्पष्ट कीजिये। (2019)

